



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

Central Sanskrit University

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

(Established by An Act of Parliament)

जयपुर परिसर, जयपुर (राज.)

(Jaipur Campus, Jaipur (Raj.)-302018)




F.No.- C.S.U.J./6-1/Misc./2024-25/ 3355

Dated:- 19.03.2025

### अधिसूचना/Notification

मुख्यालय, नई दिल्ली - के पत्रांक-8-03/CSU/Acd./Bod/Feb./2025/2036, दिनांक 18.03.2025 के निर्देशानुसार यदि किसी छात्र का नियमित कक्षाओं में निरन्तर 10 दिवस की अनुपस्थिति होने पर प्रवेश निरस्तीकरण की अवस्था में प्रवेश निरस्त तिथि से अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर संबंधित छात्र को पुनः प्रवेश दिया जा सकता है। जिसके लिए छात्र को सम्पूर्ण सत्रार्द्ध का शुल्क देना होगा।

  
(प्रो. वाई. एस. रमेश) (19/3/25)  
(Prof. Y. S. Ramesh)  
सह-निदेशक / Assoc. Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक कार्यालय।
2. समस्त विद्याशाखा समन्वयक एवं कक्षा-प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. नोटिस बोर्ड।
4. परिसर वेबसाईट पर सूचनार्थ।
5. समन्वयक, IQAC
6. संबंधित संचिका।

